

प्रवेश सम्बन्धी नियम हेतु शपथ –पत्र

मै पुत्र/पुत्री श्री पाठ्यक्रम बी.एड. (दो वर्षीय), बी.ए. बी. एड./बी.एस.सी. बी. एड.(चार वर्षीय), डी.एल.एड. (दो वर्षीय) प्रशिक्षणार्थी निवासी..... , जिला..... एतद्वारा निम्नलिखित तथ्यों की घोषणा करता/करती हुँ कि :—

महाविद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश पश्चात् नियम और निर्देश की पालना

1 महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हर प्रशिक्षणार्थी को शैक्षिक कार्यक्रम के प्रति लोकाचार अनिवार्य रूप से बनाए रखा जाएगा । वह हर क्षेत्रों में अपने महान लक्ष्य निर्धारित कर साथ ही वह जहाँ भी हो , उत्तरदायित्वपूर्ण और मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करेगा । प्रवेश सम्बन्धी महाविद्यालय कार्यालय में जमा समस्त दस्तावेज की जिम्मेदारी स्वयं प्रशिक्षणार्थी की रहेगी ।

2 महाविद्यालय का समय प्रातः 10:15 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा । समयावधि पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी , विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों की कक्षाओं की नियमित उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है अतः मेरी कक्षा में नियमित उपस्थित रहेगा/रहेगी । अगर किसी गम्भीर कारणों से अनुपस्थिति होती है तो उसकी अग्रिम सूचना पाठ्यक्रम प्रभारी एवं प्राचार्य से अनुमति अनिवार्य होगी , बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर अगर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से गतिविधियों, व परीक्षा में बैठने की अनुमति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थी स्वयं की रहेगी ।

3 प्रशिक्षणार्थी द्वारा महाविद्यालय /कक्षाओं में अनुशासन बनाये रखेगा , किसी भी तरह की अनुशासनहीनता होने पर महाविद्यालय को शीघ्र निलम्बन /विरुद्ध (भावी अनुशासनात्मक) कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

4 प्रशिक्षणार्थी का सांस्कृतिक कार्यक्रम , सेमिनार , विचारगोष्ठी , वाद–विवाद , प्रश्नोत्तरी , निबन्ध प्रतियोगिता , खेल–कूद , सामाजिक सेवाकार्य , प्रदर्शन कार्यक्रम , आध्यात्मिक साधना , भाषण , पोस्टर प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों एवं गतिविधियों व आन्तरिक मूल्याकांन परीक्षा में अनिवार्य रूप उपस्थित होना की अनिवार्यता रहेगी , आन्तरिक गतिविधियों में अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय को उचित कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा ।

महाविद्यालय भवन में मोबाइल फोन का प्रयोग सख्त मना है और इस नियम के उल्लंघन पर मोबाइल फोन जब्त करने अथवा अर्थदण्ड या दोनों किया जा सकेगा ।

5 महाविद्यालय में साधारण और शालीन वस्त्र (महाविद्यालय ड्रेस कोड) पहनकर ही आयेगा, बिना महाविद्यालय ड्रेस कोड के नियमित कक्षाओं /गतिविधियों में बैठने की अनुमति नहीं होगी ।

6 पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं , व पुस्तकालय के नियमों का पूर्णत पालन किया जायेगा । किसी प्रकार की किताब जमा न होने पर उचित मुल्य की राशि पुस्तकालय खाते में जमा करवाने की बाध्यता रहेगी ।

7 महाविद्यालय परिसर में अनिवार्य रूप से अपना परिचय पत्र अपने गले में पहने रखना होगा , महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी के मॉगने पर उसे परिचय पत्र दिखाना या निरीक्षण के दिया जायेगा । पहली बार परिचय पत्र जारी होने पश्चात् गुम होने की स्थिति में राशि कर भुगतान कर दुसरी कॉपी जारी होगी ।

8 महाविद्यालय प्राचार्या की अनुमति के बिना न तो किसी प्रकार की बैठक का आयोजन और न ही उनकी कोई अनुशंसा के बिना किसी प्रकार का कार्यक्रम किया जायेगा।

9 प्रशिक्षणार्थी प्राचार्या /सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा , कक्षाओं के समाप्त पश्चात् पर ही वे घर जा सकेंगे ।

10 रैगिंग एक दंडनीय अपराध है जो ऐसे कृत्य में लगे हुए पाये जायेंगे या कोई अपराध अश्लील हरकत एवं शब्दों का प्रयोग या किसी प्रकार का दुरव्यवहार करने वाले पर महाविद्यालय सख्ती से पेश आयेगा , उनको महाविद्यालय से अविलम्ब निष्कासित किया जाना व कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11 महाविद्यालय परिसर में नशीले पदार्थ के प्रभाव की स्थिति में आना मना है और यदि ऐसी स्थिति में पाया/यी जाता/ती है तो उसके प्रति गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। महाविद्यालय परिसर या भवन में तम्बाकू या इस तरह के पदार्थों का सेवन पूर्णत वर्जित है ।

12 प्रशिक्षणार्थी द्वारा धरती माँ के संरक्षण का ख्याल रखा और प्लास्टिक पदार्थों , पोलिथिन थैलों , आदि को कूड़ेदान में ही डालेगा/गी ।

13 प्रशिक्षणार्थी द्वारा सीधे बाहरी कमेटी/एजेंसी से सम्पर्क नहीं कर सकता यदि ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगी ।

मैंप्रशिक्षणार्थी..... यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा न. 1 से 13 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एंव सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एंव सही है । इसमें न तो कोई तथ्य गलत है, न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। मैं उपरोक्त नियमों का पालन आवश्यक रूप से करूंगा/करूंगी। यदि इन नियमों का पालन नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक :

शपथकर्ता

तमसो मा ज्योतिर्गमय